अध्याय - III

राज्य उत्पाद

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद कर का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत, से शासित होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। उत्पाद आयुक्त (उ.आ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है।

झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[1] में, प्रत्येक प्रमण्डल उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रण के अधीन, विभक्त है। प्रमण्डलों को पुन: 19 उत्पाद जिलों[2] में, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन, विभक्त किया गया है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2013-14 के दौरान राज्य उत्पाद से संबंधित 23 में से 18 इकाइयों के (₹ 698.37 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले) नमूना जाँच में 1370 मामलों में सन्निहित ₹ 173.46 करोड़ उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क इत्यादि का नहीं/अल्प आरोपण का पता चला, विवरण **तालिका-3.2** में उल्लिखित है।

तालिका - 3.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	**"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण"** - एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	164.79
2	बिना शुल्क/घटे अनुज्ञा शुल्क पर शराब का उठाव	523	6.41
3	अन्य मामले	846	2.26
कुल		**1,370**	**173.46**

वर्ष के दौरान विभाग ने 2013-14 में हमारे द्वारा इंगित 135 मामलों में ₹ 139.96 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क, शुल्क का नहीं/अल्प उद्ग्रहण, राजस्व की हानि एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया।

---

[1] उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर-सह-कोल्हान-सह-पलामू प्रमण्डल, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

[2] बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहेबगंज तथा सरायकेला-खरसावाँ।

₹ 164.79 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ **"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

3.3 झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण

विशिष्टताएँ

- पाँच उत्पाद जिलों में वर्ष 2011-12 से 2012-13 के दौरान 82 उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती के कारण सरकार ₹ 24.88 करोड़ के राजस्व से वंचित हुई।

(कंडिका 3.3.8)

- तीन उत्पाद जिलों में 2012-13 के दौरान 140 खुदरा उत्पाद दुकानों के 59 अनुज्ञाधारियों के मामले में निर्धारित अवधि में अनुज्ञा शुल्क जमा करने में विलंब के कारण ₹ 57.79 लाख का ब्याज, हालांकि आरोप्य था, विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.9)

- 11 उत्पाद जिलों में अनुज्ञा शुल्क के भुगतान, जैसा कि नयी उत्पाद नीति में प्रावधान था, से अनुचित छूट के कारण वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान सरकार ₹ 137.08 करोड़ के अनुज्ञा शुल्क से वंचित हुई।

(कंडिका 3.3.10)

- पाँच उत्पाद जिलों में, 263 खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों ने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा नहीं उठाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.00 करोड़ के उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.3.11)

- बकायों की वसूली हेतु नीलामपत्रवाद दायर करने में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 20.12 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.3.17)

3.3.1 प्रस्तावना

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची राज्य सरकार को मानव उपभोग हेतु अल्कोहलिक लीकर पर, अफीम, भारतीय गाँजा एवं राज्य में निर्मित या उत्पादित अन्य नारकोटिक ड्रग्स पर उत्पाद शुल्क अधिरोपित करने और मद्य की वैध बिक्री से अधिकतम राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने का अधिकार देती है। राज्य उत्पाद राजस्व कर-राजस्व के मुख्य स्रोतों में से एक है जो 2013-14 के दौरान राज्य सरकार द्वारा सृजित कुल राजस्व का 6.69 प्रतिशत था। यह शराब या नशीली दवाओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री, आयात तथा निर्यात पर शुल्क एवं फीस के रूप में आरोपित एवं संग्रहित किया जाता है। शराब में देशी शराब (दे.श.), मसालेदार देशी शराब (म.दे.श.), भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.), बीयर इत्यादि शामिल है। उत्पाद राजस्व का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बि.उ.अधिनियम) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत, द्वारा शासित होता है।

बि.उ.अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमावलियों एवं नीतियों के अधीन झारखण्ड सरकार, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने एक नई उत्पाद नीति (फरवरी 2009) अंगीकृत किया, जो खुदरा उत्पाद दुकानों के बंदोबस्ती के संबंध में पिछली उत्पाद नीति से भिन्न है। पूर्व में बंदोबस्ती नीलामी पर आधारित था जबकि नई नीति में दुकानों की बंदोबस्ती एक खास खुदरा दुकान के विरूद्ध आवेदनों की प्राप्ति पर लॉटरी पद्धति से किये जाने हैं। अधिक उत्पाद राजस्व सृजन हेतु अवैध शराब पर रोक लगाने, एक एकल इकाई/व्यक्ति के एकाधिकार को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को स्तरीय शराब उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सभी खुदरा दुकानों को समूहों में (एक समूह में अधिकतम तीन खुदरा उत्पाद दुकानें सम्मिलित की गयीं) विभक्त करना था। अग्रतर, नयी उत्पाद नीति, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.भा.) के कोटे से 15 प्रतिशत के उपर उठाव पर अनुज्ञा शुल्क से छूट का प्रावधान करती है और इसके बाद जून 2012 तक आधे दर पर अनुज्ञा शुल्क प्रभार्य था।

3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद (उ.उ.) एवं सहायक आयुक्त उत्पाद (स.आ.उ.) और एक निरीक्षक उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है। आगे उन्हें उत्पाद प्रमण्डलों में उ.उ. द्वारा सहयोग किया जाता है।

राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों[3] में, उ.उ. जो विभाग एवं जिलों के बीच प्रशासनिक समन्वयक होते हैं के नियंत्रण के अधीन, विभक्त है। प्रमण्डल आगे 19 उत्पाद जिलों[4] में, प्रत्येक जिला में एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./ अ.उ.) जो जिला स्तर पर उत्पाद मामलों के वास्तविक निर्वाहक होते हैं के प्रभार के अधीन, विभक्त हैं।

झारखण्ड में एक आसवनी, सात भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) बॉटलिंग प्लांट, 13 देशी शराब (दे.श.) सैचेटिंग प्लांट पाँच क्षेत्रों[5] के अधीन, चार मसालेदार देशी शराब (म.दे.श.) सैचेटिंग प्लांट हजारीबाग एवं राँची क्षेत्रों के अधीन है, जिनका नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधित स.उ.आ./अ.उ./नि.उ. के द्वारा किया जाता है।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निम्न पहलुओं से संबद्ध उत्पाद प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण की दक्षता एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया गया:

- जिलों/दुकानों के न्यू.प्र.म. के निर्धारण की प्रक्रिया;
- दुकानों की बंदोबस्ती की प्रणाली;
- विभिन्न उत्पाद प्राप्तियों का निक्षेप एवं वापसी; तथा
- शराब के उठाव की प्रणाली।

3.3.4 लेखापरीक्षा सिद्धांत

निष्पादन लेखापरीक्षा निम्न अधिनियमों/नियमावलियों के अधीन बनाए गए प्रावधानों एवं कार्यकारी निर्देशों के संदर्भ में संचालित किया गया:

- बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (जैसा कि झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया);
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली एवं कोषागार संहिता;
- बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम 1914;
- खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती हेतु, फरवरी 2009 में निर्गत नई उत्पाद नीति; एवं
- विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत संकल्प/गजट अधिसूचनाएं/परिपत्र।

---

[3] उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग, संथाल परगना, दुमका एवं दक्षिणी छोटानागपुर-सह-कोल्हान-सह-पलामू प्रमण्डल, राँची।

[4] बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची-सह-खूँटी, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ तथा पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

[5] धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची।

3.3.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

2008-09 से 2012-13 की अवधि के भीतर **"झारखण्ड में उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण"** का निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2013 एवं मार्च 2014 के बीच संचालित किया गया। 19 में से ग्यारह[6] उत्पाद जिलों, तीन प्रमण्डलों में से संथाल परगना एवं दक्षिणी छोटानागपुर-सह-कोल्हान-सह-पलामू और आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में बन्दोबस्ती पंजी/संचिकाएं, अनुज्ञा शुल्क पंजी/संचिकाएं, प्रतिभूति जमा पंजी, देसी शराब/मसालेदार देशी शराब सैचेटिंग संचिकाएं, भा.नि.वि.श. बॉटलिंग प्लाट के अभिलेख, राजस्व संचिकाएं, पास-परमिट इत्यादि का नमूना जाँच किया गया। ईकाइयाँ बिना प्रतिस्थापन के क्रम-रहित सैंपलिग प्रणाली द्वारा और राजस्व क्षमता के आधार पर चयनित की गईं।

3.3.6 आभारोक्ति

लेखापरीक्षा को आवश्यक सूचना और अभिलेख उपलब्ध कराने में राज्य उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। हमलोगों ने निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं पद्धति पर विचार विमर्श करने के लिए सचिव-सह-आयुक्त उत्पाद के साथ 5 फरवरी 2014 को प्रवेश बैठक किया। 7 अगस्त 2014 को सचिव-सह-आयुक्त, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन बैठक संपन्न हुई जिसमें समीक्षा के अवलोकन, निष्कर्ष एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गयी। प्रतिवेदन में सरकार/विभाग के मंतव्यों को उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

3.3.7 उत्पाद राजस्व की प्रवृत्ति

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.) भाग-I (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के अनुसार, राजस्व अनुमान तैयार करने का दायित्व वित्त विभाग में निहित है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव-सह-आयुक्त शुद्ध अनुमानों के संकलन तथा निर्धारित तिथियों को इसे वित्त विभाग को भेजने के लिए उत्तरदायी है।

2008-09 से 2013-14 की अवधि के दौरान संशोधित बजट अनुमान (सं.ब.अ.) एवं राज्य उत्पाद से वास्तविक प्राप्तियाँ **तालिका - 3.3.7** में दिए गए हैं:

6 बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, पाकुड़, राँची-सह-खूँटी, साहेबगंज, सरायकेला-खरसावाँ और पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)।

तालिका - 3.3.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित बजट अनुमान (सं.ब.अ.)	वास्तविक प्राप्तियाँ	विचरण आधिक्य (+) कमी (-)	विचरण का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियाँ एवं कुल कर प्राप्तियाँ का प्रतिशत
2008-09	357.52	205.46	(-)152.06	(-)43.00	3,753.21	5.47
2009-10	550.00	322.75	(-)227.25	(-)41.31	4,500.12	7.17
2010-11	525.00	388.34	(-)136.66	(-)26.03	5,716.63	6.79
2011-12	445.00	457.08	(+)12.08	(+)02.71	6,953.89	6.57
2012-13	650.00	577.92	(-)72.08	(-)11.09	8,223.67	7.03
2013-14	700.00	627.93	(-)72.07	(-)10.30	13,132.50	4.78

स्रोत: झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार वित्तीय लेखे एवं संशोधित अनुमान।

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि 2011-12 के दौरान के अलावा विभाग बजट अनुमानों को हासिल नहीं कर सका। बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों के बीच विचरण (-) 43 से 2.71 प्रतिशत के बीच रहा। 2012-13 में बजट अनुमान पिछले तीन वर्षों के प्राप्तियों की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक था, जिससे इंगित होता है कि बजट अनुमान यथार्थवादी आधार पर तैयार नहीं किये गये। अग्रतर, विभाग ने अपने द्वारा तैयार एवं वित्त विभाग को भेजा गया बजट अनुमान आग्रह के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया।

जून 2014 में मामले को सरकार/विभाग को प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने मामले को स्वीकार किया और कहा (अगस्त 2014) कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये, विभाग से कोई जानकारी लिये बिना वित्त विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया।

सरकार वित्त विभाग को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से प्राप्त जानकारियों के आधार पर यथार्थवादी एवं वैज्ञानिक बजट अनुमान तैयार करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी कर सकती है।

3.3.7.1 उत्पाद राजस्व के बकायों की स्थिति

31 मार्च 2014 को राजस्व का बकाया, जैसा कि विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, ₹ 29.37 करोड़ था, जिसमें से ₹ 8.38 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया था। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान वर्षवार बकायों की स्थिति **तालिका - 3.3.7.1** में दर्शाया गया है।

तालिका - 3.3.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	बकायों का अन्तिम शेष
2009-10	29.39	30.94
2010-11	30.94	30.94
2011-12	30.94	31.07

तालिका - 3.3.7.1

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकायों का प्रारम्भिक शेष	बकायों का अन्तिम शेष
2012-13	31.07	31.37
2013-14	31.37	29.37

विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2014 को ₹ 29.37 करोड़ के बकायों के अन्तिम शेष में से, ₹ 20.96 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूली हेतु नीलामपत्रवाद दायर किया गया था, ₹ 1.00 करोड़ की वसूली न्यायालयों एवं अन्य न्यायायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक दी गयी, ₹ 10.55 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोकी गयी तथा ₹ 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभाव्य था। शेष ₹ 7.14 करोड़ की राशि के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई है (नवम्बर 2014)।

इस तरह, उपरोक्त से यह देखा गया कि कुल बकायों की राशि का मात्र 71.35 प्रतिशत बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली (लो.माँ.व.) अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू कर भू-राजस्व के बकायों की तरह की भाँति वसूलनीय था।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार बकाया मामलों के त्वरित निष्पादन के लिये निरंतर अनुश्रवण द्वारा और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू कर भू-राजस्व के बकाये की तरह, बकायों की वसूली हेतु विभाग को निर्देश निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

उत्पाद शुल्क एवं अन्य उत्पाद प्राप्तियों का आरोपण एवं संग्रहण बि.उ.अधिनियम एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा शासित होता है। उत्पाद राजस्व चालानों द्वारा संग्रहण किया जाता है और जिला स्तर पर जिला उत्पाद अधिकारियों (स.आ.उ./अ.उ.), जो आयुक्त उत्पाद के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उत्पाद राजस्व के संग्रहण हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, द्वारा कोषागारों में जमा किया जाता है।

उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्कों का आरोपण

3.3.8 खुदरा उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती

बि.उ. अधिनियम, 1915, के प्रावधानों, इसके अंतर्गत बनाये गये नियमावलियों और नीतियों के अधीन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड सरकार ने संकल्प सं. 367 दिनांक 20 फरवरी 2009 एवं तत्पश्चात गजट अधिसूचना सं. 150 तारीख 27 मार्च 2009 के द्वारा नीलामी/निविदा हेतु डाक के स्थान पर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से सभी खुदरा दुकानों की बंदोबस्ती करने के लिये दिशानिर्देशों सहित एक नयी उत्पाद नीति अंगीकृत किया। खुदरा दुकानों की अबंदोबस्ती की स्थिति में,

अनुज्ञा प्राधिकारियों को घटाए गए सुरक्षित शुल्क पर दुकानों की बंदोबस्ती हेतु आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) को अनुशंसा करने की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। उत्पाद राजस्व के हित में घटाए गए अनुज्ञा शुल्क पर बंदोबस्ती के प्रस्ताव को आ.उ. अनुमोदित कर सकते हैं। अग्रतर, पत्र सं.144 दिनांक 17 जनवरी 2011 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी स.आ.उ./अ.उ. दुकानों के न्यू.प्र.मा. को तर्कसंगत बनाकर खुदरा उत्पाद दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती के लिये उत्तरदायी बनाये गये।

नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 उत्पाद जिलों में बंदोबस्ती पंजी, बिक्री अधिसूचना, अनुज्ञा शुल्क पंजी एवं लॉटरी पंजी (मई 2013 एवं फरवरी 2014 के बीच) से हमने पाया कि 1063 दुकानें पिछले चार वर्षों (2009-10 से 2012-13) के दौरान अबंदोबस्त रहे जिनकी विस्तृत स्थिति **तालिका - 3.3.8** में है।

तालिका - 3.3.8

वर्ष	स्वीकृत दुकानों की संख्या	बन्दोबस्त दुकानों की संख्या	अबन्दोबस्त दुकानों की संख्या
2009-10[7]	1,690	1,204	486
2010-11	1,603	1,272	331
2011-12	1,271	1,139	172
2012-13	1,219	1,145	74
कुल	**5,783**	**4,760**	**1,063**

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गये 11 जिलों में 2009-10 में स्वीकृत दुकानों की संख्या 1,690 से घट कर 1,219 हो गई अर्थात 27.87 प्रतिशत घट गई। आगे यह देखा जा सकता है कि बन्दोबस्त दुकानों की संख्या 2009-10 में 1,204 से घटकर 2012-13 में 1,145 रह गई अर्थात उपरोक्त अवधि के दौरान 17.69 प्रतिशत उत्पाद दुकानें अबंदोबस्त रहीं। स्वीकृत दुकानों की संख्या एवं बंदोबस्त दुकानों की संख्या की घटती प्रवृत्ति का कारण यद्यपि माँगा गया (अगस्त 2014), विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया है।

पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इन विषयों को हमारे द्वारा इंगित किया गया था। तथापि, विभाग में यह अनियमितता अभी भी कायम है।

नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 में से पाँच[8] उत्पाद जिलों में न्यू.प्र.म. व अनुज्ञा शुल्क, अग्रिम अनुज्ञा शुल्क और प्रतिभूति राशि दर्शाते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों की एक सूची जिला स्तर पर तैयार की गयी और इन सभी तथ्यों के साथ 2011-12 तथा 2012-13 की अवधि हेतु क्रमश: 37 तथा 591 दुकानों की बंदोबस्ती के लिये फरवरी 2011 एवं फरवरी 2012 के बीच बिक्री अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं। निर्धारित तिथियों को बंदोबस्ती प्रक्रिया संचालित की गयी। तथापि, 82 खुदरा दुकानें[9] समय-समय पर बिक्री अधिसूचनाओं के प्रकाशन के बावजूद अबंदोबस्त रहीं

[7] राज्य में 2008-09 की अवधि के दौरान दुकानें एकल समूह में बन्दोबस्त की गयी थी।

[8] बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग (रामगढ़) तथा साहेबगंज।

[9] अबन्दोबस्त/प्रस्तावित दुकानों की संख्या: 2011-12: साहेबगंज (8/47), 2012-13: बोकारो (8/106), धनबाद (6/205), जमशेदपुर (37/201), हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़ {रामगढ़ (23/79)}।

(2011-12: 8 दुकानें और 2012-13: 74 दुकानें)। अग्रतर, जिला उत्पाद प्राधिकारियों ने अनुज्ञा शुल्क के घटे हुए दर पर अबंदोबस्त दुकानों की बंदोबस्ती के संबंध में निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का अनुसरण नहीं किया और दुकानों की क्षमता को ध्यान में रखकर दुकानों के न्यू.प्र.मा. के निर्धारण को भी तर्कसंगत नहीं बनाया। इस तरह, सरकार उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में ₹ 24.88 करोड़ की राशि के उत्पाद राजस्व से वंचित हुई जैसा कि **तालिका - 3.3.8** में वर्णित है।

तालिका- 3.3.8

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	न्यू.प्र.मा. (एल.पी.एल. में)				अनुज्ञा शुल्क	उत्पाद शुल्क	कुल (अ.शु.+उ.शु.)
		दे.श.	म.दे.श.	भा.नि.वि.श.	बीयर			
1	बोकारो	3,83,850.00	52,860.00	24,928.00	31,600.00	266.72	38.70	305.42
2	धनबाद	1,13,470.31	16,467.62	70,592.17	91,376.72	202.21	43.34	245.55
3	जमशेदपुर	8,10,957.00	1,06,182.00	3,35,440.00	4,98,828.00	1,120.41	229.11	1,349.52
4	रामगढ़	2,80,696.00	30,738.00	1,16,718.00	1,93,862.00	389.05	80.88	469.93
5	साहेबगंज	36,420.00	16,060.00	37,620.00	33,509.00	97.10	20.88	117.98
कुल		**16,25,393.31**	**2,22,307.62**	**5,85,298.17**	**8,49,175.72**	**2,075.49**	**412.91**	**2,488.40**

मामले को सरकार/विभाग को जून 2014 में प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती के कारण हुई हानि काल्पनिक है क्योंकि उन दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जा सकी। उत्तर विश्वासप्रद नहीं था क्योंकि उत्पाद राजस्व का बड़ा अंश उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती पर निर्भर है। दुकानों की बंदोबस्ती के अभाव में, सरकार राजस्व से वंचित रही। अग्रतर, विभाग ने खुदरा दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती हेतु मानदंड के अनुसार या दुकानों की क्षमता के आधार पर न्यू.प्र.मा. निर्धारित करने का कोई प्रयास नहीं किया।

सरकार अवैध शराब की आपूर्ति के जोखिम को कम करने हेतु, अबंदोबस्त खुदरा शराब दुकानों के संचालन के लिये और खुदरा दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती हेतु, न्यू.प्र.मा. के तर्कसंगत वितरण द्वारा राजस्व की प्राप्ति बनाए रखने के लिये एक तंत्र विकसित करने पर विचार कर सकती है।

3.3.9 अनुज्ञा शुल्क के विलंबित निक्षेप पर ब्याज का आरोपण नहीं होना

पत्र सं. 1/नीति-40-4/2010-286 दिनांक 22 फरवरी, 2010 की शर्त संख्या XIII (ख) तथा संकल्प सं. 367 के अधीन निर्गत बिक्री अधिसूचना के शर्त संख्या 13 (ख) के साथ पठित बि.उ.अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों के अंतर्गत, खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारी प्रत्येक माह की 20वीं तिथि तक मासिक अनुज्ञा शुल्क जमा करने के लिये बाध्य थे, इसमें विफल रहने पर देय अनुज्ञा शुल्क की राशि पर पाँच प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज प्रभार्य है।

नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 में से तीन[10] उत्पाद जिलों के अनुज्ञा शुल्क पंजियों एवं चालानों से हमने पाया कि वर्ष 2012-13 के दौरान 140 खुदरा दुकानों के 59 अनुज्ञाधारी ₹ 3.23 करोड़ के मासिक अनुज्ञा शुल्क निर्धारित अवधि के अंदर जमा करने में विफल रहे। प्रावधानों के अनुसार, एक दिन से 16 दिनों के बीच के विलंब के लिए पाँच प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ₹ 57.79 लाख राशि का ब्याज, हालांकि आरोप्य था, विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया। विस्तृत विवरण **तालिका - 3.3.9** में दिये गये हैं।

तालिका - 3.3.9

(₹ लाख में)

क्र.सं.	उत्पाद जिले	दुकानों की संख्या	देय अनुज्ञा शुल्क की राशि	विलंब की अवधि	पाँच प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज की राशि
1	धनबाद	14	12.36	1 से 16 दिन	1.28
2	हजारीबाग	31	38.91		7.53
	रामगढ़	21	73.48		26.63
3	जमशेदपुर	74	198.42		22.35
कुल		**140**	**323.17**		**57.79**

अग्रतर, पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में जैसा इंगित था, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, ₹ 75.35 लाख के ब्याज सन्निहित अनुज्ञा शुल्क के विलंबित निक्षेप के 104 मामले विभाग की जानकारी में लाये गये। इसके विरूद्ध, पूर्ववर्ती वर्षों में विभाग द्वारा ₹ 34.48 लाख वसूल की गई।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि अनुज्ञाधारियों को उक्त राशि के समायोजन के पश्चात सुरक्षित राशि वापस की जाएगी।

3.3.10 खुदरा अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ

2009-10 से प्रभावी नई उत्पाद नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत, जिले का न्यू.प्र.मा. आयुक्त उत्पाद के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जिला स्तर पर अनुज्ञा प्राधिकारी दुकानों की क्षमता पर खुदरा दुकानों के बीच न्यू.प्र.मा. वितरित करते हैं। अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की 20वीं तिथि तक अग्रिम के रूप में अनुज्ञा शुल्क, जो खुदरा दुकान के निर्धारित न्यू.प्र.मा. के आधार पर निर्धारित किया गया था, का भुगतान किया जाना है। खुदरा विक्रेता निर्धारित न्यू.प्र.मा. का 1/12 भाग उठाने के लिए बाध्य थे। अग्रतर, 2009-10 से प्रभावी नयी उत्पाद नीति निर्धारित न्यू.प्र.मा. से 15 प्रतिशत अधिक की सीमा तक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क से छूट और इसके बाद आधे दर से अनुज्ञा शुल्क प्रभारित करने का प्रावधान करती है (जून 2012 तक)।

[10] धनबाद, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़ और जमशेदपुर।

हमने नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 उत्पाद जिलों के खुदरा दुकानों के खपत विवरणी, पास-परमिट एवं पंजी 68 (निर्यात हेतु पास की पंजी/ उत्पाद सामग्रियों का परिवहन) से पाया कि दुकानों के अनुज्ञाधारियों ने निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क के छूट के प्रावधानों के कारण 2009-10 से 2012-13 के दौरान निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक भा.नि.वि.श./बीयर का उठाव किया। अग्रतर, खुदरा विक्रेता प्रत्येक माह निर्धारित न्यू.प्र.मा. का 1/12 भाग उठाने के लिए बाध्य थे, जिसका पालन किया गया पर उन्होंने भी न्यू.प्र.मा. से अधिक शराब का उठाव कर नीतियों में कमियों का लाभ लिया। इस तरह, निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क में छूट/कमी का प्रावधान बनाये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 137.08 करोड़ की राशि के अनुज्ञा शुल्क के रूप में खुदरा विक्रेताओं को न केवल अनुचित वित्तीय लाभ हुआ बल्कि तय फार्मूला के अनुसार दुकानों की बंदोबस्ती भी नहीं हुई जैसा कि कंडिका सं. - 3.3.8 में वर्णित है।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2014) कि न्यू.प्र.मा. से 115 प्रतिशत अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट वापस ले ली गयी है और लेखापरीक्षा की अनुशंसा पर न्यू.प्र.मा. से 15 प्रतिशत तक अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क के छूट पर उच्च स्तर पर कार्रवाई की जायेगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निर्धारित न्यू.प्र.मा. से 15 प्रतिशत तक अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क के छूट के प्रावधान को वापस लेने पर विचार कर सकती है।

3.3.11 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

बि.उ.अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/नीतियों के अधीन, खुदरा उत्पाद दुकान के प्रत्येक अनुज्ञाधारी विक्रेता को अगले महीने के लिए देशी शराब की साप्ताहिक आवश्यकता को चालू महीने के अंतिम सप्ताह तक देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनन्य विशेषाधिकार के ठेकेदार को समर्पित करना है और दुकान हेतु विभाग द्वारा निर्धारित प्रत्येक प्रकार के शराब की न्यू.प्र.मा. उठाने को बाध्य है जिसमें विफल रहने पर उत्पाद शुल्क या सरकार को हुए उत्पाद शुल्क की हानि के बराबर वित्तीय अर्थदण्ड विक्रेता से वसूलनीय होगा।

हमने नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 में से पाँच[11] उत्पाद जिलों में शराब की खपत विवरणी एवं संबंधित अभिलेखों से पाया कि वर्ष 2012-13 में 692 दुकानों में से 263 के विक्रेताओं को जिलों के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों से 1.01 करोड़ एल.पी.एल./बी.एल. दे.श./म.दे.श./भा.नि.वि.श./बीयर का उठाव करना अपेक्षित था लेकिन वर्ष के दौरान मात्र 75.71 लाख एल.पी.एल./बी.एल.दे.श./म.दे.श./भा.नि.वि.श./ बीयर ही उठाया जा सका जिसके परिणामस्वरूप 24.86 लाख एल.पी.एल./बी.एल.

[11] बोकारो, धनबाद, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, जमशेदपुर तथा राँची।

शराब का कम उठाव हुआ। हमने शराब के उक्त कम उठाव के कारण वसूलनीय ₹ दो करोड़ उत्पाद शुल्क की गणना की, जो अनारोपित ही रहा जैसा कि **तालिका - 3.3.11** में वर्णित है।

तालिका - 3.3.11

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	दुकानों की संख्या	शराब का प्रकार	न्यू.प्र.मा.	उठाव	कम उठाव	उ.शु. की दर	उत्पाद शुल्क की हानि
1	बोकारो	दे.श. - 17	दे.श. /म.दे.श.	10,24,925	8,07,209	2,17,716	6	13.06
2	धनबाद	दे.श. - 22	दे.श. /म.दे.श.	7,92,140	7,43,752	48,388	6	2.90
		भा.नि.वि.श. - 22	भा.नि.वि.श.	3,35,114	2,77,798	57,316	40	22.93
			बीयर	2,64,964	2,24,048	40,916	8	3.27
3	जमशेदपुर	दे.श. - 58	दे.श. /म.दे.श.	18,25,253	8,63,146	9,62,107	6	57.73
		भा.नि.वि.श.- 3	भा.नि.वि.श.	1,02,685	93,543	9,142	40	3.66
		बीयर - 88	बीयर	41,64,179	31,57,510	10,06,669	8	80.53
4	राँची-सह-खूँटी	दे.श. - 31	दे.श. /म.दे.श.	10,89,708	10,18,145	71,563	6	4.29
		भा.नि.वि.श.- 9	बीयर	2,80,480	2,26,826	53,654	8	4.29
5	हजारीबाग-सह चतरा-रामगढ़	भा.नि.वि.श.- 13	भा.नि.वि.श.	1,77,606	1,58,722	18,884	40	7.55
कुल		**263**		**1,00,57,054**	**75,70,699**	**24,86,355**		**200.21**

अग्रतर, जैसा कि पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित था, वर्ष 2009-10 से 2011-12 के दौरान, कम उठाव के 63.95 लाख एल.पी.एल./बी.एल. सन्निहित 519 मामले थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 975.12 लाख के राजस्व की हानि हुई । इसके विरूद्ध, पिछले वर्षों में विभाग द्वारा ₹ 33.60 लाख की वसूली की गई।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने अवलोकन को स्वीकार किया और बताया (अगस्त 2014) कि सन्निहित राशि सुरक्षित जमा से समायोजित कर लिया जाएगा और परिणाम को सूचित किया जायेगा।

3.3.12 अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क का आरोपण नहीं होना

देशी शराब की थोक आपूर्ति निविदा अधिसूचना के साथ पठित बि.उ.अधिनियम की धारा 22(डी) के अन्तर्गत, राज्य सरकार निर्धारित दर पर अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर अर्थात निर्धारित न्यू.प्र.मा. के प्रति एल.पी.एल. पर ₹ 4 की दर से, किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों एवं बंधों के लिए तथा वैसी

अवधि के लिए जैसा उसे उचित प्रतीत हो, एक प्रक्षेत्र में देशी शराब की थोक आपूर्ति हेतु अनन्य विशेषाधिकार की अनुमति दे सकता है। अग्रतर, प्रक्षेत्र के प्रत्येक अनुज्ञाधारी द्वारा अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क का भुगतान किया जायेगा यदि प्रक्षेत्र का कुल थोक आपूर्ति वार्षिक न्यू.प्र.मा. से अधिक होता है।

हमने (मई 2013 और मार्च 2014 के बीच) दो प्रक्षेत्रों[12] में संधारित उत्पाद अभिलेखों, खपत विवरणी और देशी शराब (दे.श.) के सैचेटिंग प्लांट के वार्षिक भंडार लेखा के जाँच में पाया कि आयुक्त उत्पाद द्वारा जुलाई 2012 से मार्च 2014 की अवधि के लिये जे.एस.वी.सी.एल./खुदरा अनुज्ञाधारियों को थैली में दे.श. की आपूर्ति हेतु ठेका दो ठेकेदारों को दिया गया। तदनुसार, दोनों ठेकेदारों ने प्रक्षेत्र के लिये निर्धारित वार्षिक न्यू.प्र.मा. के आधार पर अपेक्षित अनुज्ञा शुल्क अग्रिम में जमा किया। अग्रतर, हमने पाया कि ठेकेदारों ने दे.श. के निर्धारित न्यू.प्र.मा. 39.07 लाख एल.पी.एल. के विरूद्ध 43.61 लाख एल.पी.एल. की ही आपूर्ति की। अधिनियम के पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, ठेकेदार 4.54 लाख एल.पी.एल. दे.श. की अधिक आपूर्ति पर ₹ 18.16 लाख के अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क के भुगतान करने के उत्तरदायी थे जैसा **तालिका - 3.3.12** में वर्णित है।

तालिका - 3.3.12

(₹ लाख में)

क्र.सं.	प्रक्षेत्र	निर्धारित न्यू.प्र.मा. (एल.पी.एल. में)	निर्गमन (एल.पी.एल. में)	जुलाई 12 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान अधिक निर्गमन	वसूलनीय अतिरिक्त अ.शु. @ ₹ 4 प्रति एल.पी.एल.
1	राँची	20,53,219	23,58,400	3,05,181	12.21
2	धनबाद	18,54,145	20,02,808	1,48,663	5.95
कुल		**39,07,364**	**43,61,208**	**4,53,844**	**18.16**

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि स.आ.उ., राँची द्वारा ₹ 5.73 लाख की राशि वसूल की गई और स.आ.उ., धनबाद प्रक्षेत्र को अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क की राशि वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

3.3.13 प्रचालन क्षति की अनियमित स्वीकृति

बि.उ.अधिनियम के प्रावधान तथा उसके अन्तर्गत बनाया गया नियम 43(सी), भा.नि.वि.श. के निर्माताओं, जिनका अपना आसवनी है, के मामले में उत्पादन, रैकिंग, सम्मिश्रण और भंडारण में पायी गयी कमी के कारण होने वाली क्षति की किसी अनुमति का प्रावधान नहीं करता है। अग्रतर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बिहार ने दिनांक 7 अप्रैल 1994 को एक अधिसूचना जारी किया (झारखण्ड में लागू करने हेतु अंगीकृत) जो प्रावधान करता है कि यदि आसवक भा.नि.वि.श. के कम्पाउंडिंग,

[12] राँची प्रक्षेत्र में राँची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूँटी, चाईबासा एवं सरायकेला-खरसावाँ जिला शामिल है एवं धनबाद प्रक्षेत्र में सिर्फ धनबाद उत्पाद जिला शामिल है।

सम्मिश्रण तथा बॉटलिंग के लिए उसी आसवक के अधीन पृथक अनुज्ञा भी रखता है तो आसवनी को 1.5 प्रतिशत स्पिरिट की क्षति अनुमान्य है और भा.नि.वि.श. के निर्माण के दौरान हुई कोई क्षति इसमें सम्मिलित होगी।

हमने राँची उत्पाद जिले में वर्ष 2011-12 के पंजी[13] 83, 84, 86, 88 तथा 68 तथा वार्षिक भंडार लेखे से पाया कि भारत निर्मित विदेशी शराब के आसवन, कम्पाउंडिंग, ब्लेंडिंग तथा बॉटलिंग हेतु अनुज्ञाप्राप्त एक अनुज्ञाधारी ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ए.न्यू.अ.) तथा भा.नि.वि.श. के निर्माण के लिये अनुमत्य सीमा 2.39 लाख एल.पी.एल. (1.59 करोड़ एल.पी.एल. का 1.5 प्रतिशत) के विरूद्ध 2.67 लाख एल.पी.एल. परिशोधित स्पिरिट (प.स्पि.)/(ए.न्यू.अ.) के प्रचालन क्षति का दावा किया और अधिनियम के प्रावधान के विरूद्ध इसकी अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.11 लाख उत्पाद शुल्क का आरोपण नहीं हुआ जैसा **तालिका - 3.3.13** में वर्णित है।

तालिका - 3.3.13

(₹ लाख में)

स्पिरिट के प्रकार	भा.नि.वि.श.के निर्माण हेतु उपलब्ध स्पिरिट (एल.पी.एल.)	क्षति जिसकी अनुमति दी गयी (एल.पी.एल.)	अनुमत्य क्षति (1.5 प्रतिशत)	अधिक स्वीकृति (एल.पी.एल.)	उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होना @ ₹ 25 प्रति एल.पी.एल.
प.स्पि.	66,61,034	1,45,914	2,38,563	28,459	7.11
ए.न्यू.अ.	92,43,148	1,21,108			
कुल	**1,59,04,182**	**2,67,022**	**2,38,563**	**28,459**	**7.11**

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि संबंधित स.आ.उ. को अमान्य क्षति का निर्धारण करने एवं उत्पाद शुल्क वसूल करने का निर्देश दिया गया है।

उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क का संग्रहण

3.3.14 उत्पाद राजस्व का गलत वर्गीकरण

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के प्रावधानों एवं उसके अधीन निर्गत निर्देशों के अन्तर्गत, खुदरा उत्पाद दुकानों के अनुज्ञाधारियों से उद्गृहीत सुरक्षित राशि 8443-सिविल जमा शीर्ष के अधीन लेखांकित किया जाता है तथा अनुज्ञाधारियों को उनके विरूद्ध देय बकायों के समायोजन के पश्चात वापस किया जाता है। अग्रतर,

[13] पंजी 83-रिसीवर में संग्रहित स्पिरिट की मात्रा की पंजी, पंजी 84- प्रत्येक टब या भंडार पीपे में प्राप्त, घटाया गया या ब्लेंड किया गया, और निर्गत स्पिरिट की पंजी, पंजी 86- प्राप्त स्पिरिट के पीपे एवं ड्रम की पंजी; पंजी 88-अवशेष स्पिरिट का लेखा तथा लेनदेन का सारांश; पंजी 68- उत्पाद सामग्रियां, जिनके लिये शुल्क का भुगतान कर दिया गया है या जिन पर कोई शुल्क आरोपित नहीं किया जाता है, के परिवहन, निर्यात हेतु पारक की पंजी।

अप्रत्यर्पणीय राजस्व (आवेदन शुल्क) संबंधित राजस्व शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद के अधीन जमा किया जाना अपेक्षित है।

हमने चार उत्पाद जिलों[14] में सुरक्षित जमा पंजी एवं आवेदन शुल्क पंजी से पाया (मई 2013 और मार्च 2014 के बीच) कि 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान ₹ 92.24 लाख (सुरक्षित जमा से समायोजित राशि: ₹ 75.08 लाख एवं आवेदन शुल्क: ₹ 17.16 लाख) की राशि राजस्व शीर्ष 0039 के बजाय शीर्ष 8443-सिविल जमा में रखी गयी थी जबकि संबंधित राजस्व शीर्ष के अधीन राशि को जमा किये बिना ही इसे उत्पाद राजस्व मान लिया गया। इस तरह, समायोजित राशि एवं आवेदन शुल्क का संबंधित राजस्व शीर्ष 0039-राज्य उत्पाद में जमा न होना उत्पाद राजस्व का आभासी आँकड़ा दर्शाता है।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि सभी संबंधित जिला उत्पाद प्राधिकारियों से प्रतिवेदन माँगा गया है और उसके पश्चात निर्णय लिया जायेगा।

3.3.15 शराब के बचे हुए भंडार का निष्पादन नहीं किया जाना

बि.उ.अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, उत्पाद सामग्रियों के अनुज्ञाधारी को, अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर, समाहर्ता की संस्वीकृति से शेष भंडार को उन्हीं सामग्रियों के किसी अन्य अनुज्ञाधारी विक्रेता को बेचना है। अग्रतर, मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त पायी गयी उत्पाद सामग्रियां समाहर्ता के आदेश के अधीन नष्ट की जा सकती हैं।

हमने तीन उत्पाद जिलों[15] में भा.नि.वि.श./बीयर के वार्षिक भंडार लेखे से पाया कि भा.नि.वि.श. के दो थोक अनुज्ञाधारियों ने झारखण्ड राज्य बेभरेज निगम लिमिटेड (झा.रा.बे.नि.लि.) के कार्यरत होने के पश्चात अपना व्यवसाय रोक दिया। अग्रतर, हमने पाया कि शराब का शेष भंडार (भा.नि.वि.श.: 17,859.42 एल.पी.एल. और बीयर: 5,132 बी.एल.) झा.रा.बे.नि.लि. को हस्तांतरित नहीं किया गया। इसी तरह, हजारीबाग उत्पाद जिले में हमने पाया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 31,047.94 एल.पी.एल. अनुपयुक्त म.दे.श. नष्ट किया जाना शेष था। **तालिका - 3.3.15** में विस्तृत विवरण हैं।

तालिका - 3.3.15

जिला	अनुज्ञप्ति का नाम	भा.नि.वि.श. (एल.पी.एल. में)	बीयर (बी.एल. में)	म.दे.श. (एल.पी.एल. में)	भंडार पड़े रहने की प्रारंभिक तिथि/अवधि
देवघर	अनुज्ञप्ति - I	2,219.40	5,132.00	-	31.12.12
	अनुज्ञप्ति - II	4,008.69	-	-	31.12.12
कुल		**6,228.09**	**5,132.00**		
धनबाद	अनुज्ञप्ति - I	6,534.81	11,337.00	-	31.12.12

[14] देवघर, जमशेदपुर, रामगढ़ एवं राँची।

[15] देवघर, धनबाद, और हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़।

तालिका - 3.3.15

जिला	अनुज्ञप्ति का नाम	भा.नि.वि.श. (एल.पी.एल. में)	बीयर (बी.एल. में)	म.दे.श. (एल.पी.एल. में)	भंडार पड़े रहने की प्रारंभिक तिथि/अवधि
	अनुज्ञप्ति - II	5,096.52		-	31.12.12
कुल		**11,631.33**	**11,337.00**		
हजारीबाग		-	-	31,047.94	2011-12
कुल योग		**17,859.42**	**16,469.00**	**31,047.94**	

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि मामले की जाँच की जायेगी एवं तथ्यों को सूचित किया जाएगा।

3.3.16 नीलामपत्रवाद दायर किये जाने में विलंब

बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के साथ पठित बि.उ.अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत, भू-राजस्व के बकाये की तरह बकाया वसूलनीय है। बि.उ.अधिनियम बकाया राशि के विलम्ब से भुगतान के लिए ब्याज के आरोपण का प्रावधान नहीं करता है। लोक माँग वसूली अधिनियम के अनुसार, नीलामपत्र से संबंधित लोक माँग पर नीलामपत्र के हस्ताक्षर की तिथि से उद्ग्रहण की तिथि तक प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज प्रभार्य है। नीलामपत्रवाद दायर करने में किसी विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में राजस्व की हानि होगी।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 उत्पाद जिलों में से, बोकारो उत्पाद जिले में पंजी-IX (नीलामपत्रवाद मामलों का अधियाचन पंजी) में संधारित बकायों से संबंधित अभिलेखों में पाया, कि 2000-02 के बीच की अवधि में नौ प्रमादी अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध ₹ 24.65 लाख की राशि बकाया थी। तथापि, भुगतान देय होने की अवधि के बाद एक वर्ष की छूट अवधि की अनुमति से गणना किये जाने के बजाय क्रमश: पाँच और सात वर्षों के विलम्ब से नीलामपत्रवाद के मामले दायर किये गये जैसा कि **तालिका - 3.3.16** में दर्शाया गया है।

तालिका - 3.3.16

(₹ लाख में)

प्रमादियों की संख्या	राशि जिस वर्ष से बकाया है	नीलामपत्रवाद दायर किये जाने का वर्ष	दायर किये जाने में विलम्ब	बकाया राशि	ब्याज
5	2001-02	2007-08	5 वर्ष	2.45	1.47
4	2000-01	2008-09	7 वर्ष	22.20	18.65
कुल				**24.65**	**20.12**

प्रमादियों के विरूद्ध नीलामपत्रवाद दायर करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 20.12 लाख की राशि का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि समय पर नीलामपत्रवाद दायर करने के लिये संबंधित जिले से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई किया जा रहा था।

3.3.17 नीलामपत्रवाद मामलों का अनुसरण नहीं किया जाना

बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम के साथ पठित बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अधीन, उत्पाद राजस्व के बकाये भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल किये जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के निर्देशों के अनुसार, अधियाचना पदाधिकारी एवं नीलामपत्रवाद पदाधिकारी नीलामपत्रवाद मामलों के दायर किये जाने के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। नीलामपत्रवाद मामले के निष्पादन हेतु किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 में से पाँच उत्पाद जिलों[16] के पंजी- IX से पाया कि ₹ 9.54 करोड़ सन्निहित बकाया नीलामपत्रवाद के 106 मामले निष्पादन हेतु दो और नौ वर्षों तक की अवधि के बीच लम्बित थे जैसा कि **तालिका - 3.3.17** में वर्णित है।

तालिका - 3.3.17

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला	मामलों की संख्या	लम्बित मामलों के वर्ष के संख्या	सन्निहित राशि
1	बोकारो	9	4/5	24.65
2	धनबाद	1	2	7.29
3	हजारीबाग	13	2	249.12
	रामगढ़	17	2	428.36
	चतरा	1	2	5.28
4	जमशेदपुर	29	3	226.65
5	राँची	36	9	12.22
कुल		**106**		**953.57**

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि सभी जिलों और प्रमण्डलीय प्राधिकारियों को नीलामपत्रवाद मामलों के उचित अनुसरण हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

3.3.18 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आंतरिक नियंत्रणों का उद्देश्य कानून, नियम एवं विभागीय निर्देशों के उचित रूप से लागू करने के युक्तिसंगत आश्वासन का प्रावधान करना है । ये कपट एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने में सहायता करते हैं।

[16] बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, एवं राँची।

आंतरिक नियंत्रण त्वरित एवं दक्ष सेवाओं के लिये विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली और राजस्व का अपवंचन या नहीं/अल्प संग्रहण के विरूद्ध पर्याप्त बचाव का सृजन करने में सहायता करता है।

हमने उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग में उत्पाद प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की संवीक्षा की एवं निम्नलिखित पाया:

3.3.18.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग ने मई 1960 में आदेश दिया कि आंतरिक लेखापरीक्षा वित्त विभाग के लेखापरीक्षा शाखा द्वारा संचालित की जायेगी। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को सभी माँगों, राजस्व के संग्रहण का सौ प्रतिशत लेखापरीक्षा का संचालन और कोषागार में जमा की गयी राशियों का सत्यापन करना अपेक्षित है।

हमने नमूना जाँच के दौरान किये गये 11 उत्पाद जिलों एवं दो उ.उ. के अभिलेखों में पाया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान इन कार्यालयों का वित्त विभाग द्वारा कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं किया गया। नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव में, विभाग चिन्ता के क्षेत्रों से अनभिज्ञ रहा तथा उस पर उपचारात्मक कार्रवाई नहीं कर सका।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने हेतु वित्त विभाग को अनुरोध पत्र भेजना प्रस्तावित था।

3.3.18.2 उत्पाद खुफिया ब्यूरो

उत्पाद कानून, उत्पाद खुफिया ब्यूरो के गठन का प्रावधान करता है । यह केन्द्रीय गुप्तचर संगठन है, जो अन्य राज्यों के समरूप ब्यूरो एवं जिलों के उत्पाद कार्यालयों के साथ सहयोग से काम करता है। ब्यूरो के अधिकारी उ.उ.(मुख्यालय) के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन हैं। ब्यूरो से राज्य के विभिन्न जिलों में सामान्य एवं विशेष जाँच पड़ताल करना तथा शराब की अन्तर्राज्यीय और अंतर्जिला संचलन की जाँच करना अपेक्षित है। इस शाखा से शराब की तस्करी के सम्बन्ध में सूचनाएँ एकत्रित, मिलान और प्रसार करना भी अपेक्षित है।

हमने उ.खु.ब्यू. के गठन से संबंधित अभिलेखों के जाँच से पाया कि यद्यपि विभाग ने राज्य में अप्रैल 2008 में उ.खु.ब्यू. का गठन किया, लेकिन पाँच वर्षों की समाप्ति के बाद भी यह अकार्यशील रहा।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि वर्तमान में अधीक्षक उत्पाद को पदस्थापित किया गया है और जिलों में इस शाखा द्वारा छापेमारी एवं निरीक्षण संचालित किये जा रहे हैं।

3.3.18.3 उत्पाद कार्यालय/ईकाइयों का निरीक्षण

कमियों का समय पर पता लगाने, उत्पाद कानून के विरूद्ध अपराधों एवं उत्पाद राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये विभाग के उचित एवं प्रभावकारी कामकाज को सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण करना आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक प्रमुख भाग है। चूँकि उत्पाद विभाग राजकोष में कर राजस्व का दूसरा बड़ा अंशदाता है, उच्चस्तरीय आवधिक निरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथापि, आयुक्त उत्पाद के लिए उत्पाद कार्यालयों के निरीक्षण हेतु कोई निश्चित कर्तव्य निर्धारित नहीं है। बि.उ.अधिनियम के अधीन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा परिशिष्ट-14 के अध्याय-।। में जारी निर्देशों के अनुसार, उ.उ. से प्रमण्डलीय स्तर पर वर्ष में एक बार सभी उत्पाद कार्यालयों/ भण्डागार का निरीक्षण करना अपेक्षित है। स.आ.उ./अ.उ. को एक वर्ष में जिला कार्यालय का दो बार एवं आसवनियों/भण्डागारों का तिमाही निरीक्षण करना अपेक्षित है। उत्पाद निरीक्षक/अवर निरीक्षक को उसके क्षेत्राधिकार के अधीन सभी खुदरा उत्पाद दुकानों का वर्ष के दौरान प्रत्येक माह में एक बार निरीक्षण करना अपेक्षित है।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 उत्पाद जिलों एवं दो उ.उ. के अभिलेखों में पाया कि 2008-09 से 2012-13 के दौरान विभिन्न निरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा 1,23,576 के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 378 निरीक्षण संचालित किये गये जैसा कि **तालिका - 3.3.18.3** में दर्शाया गया है।

तालिका- 3.3.18.3

वर्ष	उ.उ.		स.आ.उ./अ.उ.		निरीक्षक		अवर निरीक्षक	
	लक्ष्य	संचालित निरीक्षण	लक्ष्य	संचालित निरीक्षण	लक्ष्य	संचालित निरीक्षण	लक्ष्य	संचालित निरीक्षण
2008-09	44	0	102	0	3,960	0	5,736	19
2009-10	44	0	330	0	11,676	0	15,456	52
2010-11	46	0	342	0	12,600	0	17,496	76
2011-12	47	0	350	0	12,096	0	15,408	155
2012-13	45	0	342	07	12,000	02	15,456	67
कुल	**226**	**0**	**1,466**	**07**	**52,332**	**02**	**69,552**	**369**

उपर्युक्त तालिका में देखा जा सकता है कि विभाग ने पिछले पाँच वर्षों में से किसी में भी निरीक्षण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। इसने विभाग द्वारा आंतरिक नियंत्रण एवं प्रभावकारी अनुश्रवण के अभाव को इंगित किया।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि सभी जिलों एवं प्रमण्डलों को प्रावधानों का अनुपालन करने और तद्नुसार उत्पाद मुख्यालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया।

3.3.18.4 मानव संसाधन प्रबंधन

बि.उ.अधिनियम, 1915 के प्रावधानों के अधीन, उत्पाद कर्मियों का कर्तव्य उत्पाद कानून के विरूद्ध अपराधों का पता लगाना एवं रोकना, उत्पाद इकाइयों का निरीक्षण एवं उत्पाद राजस्व का समुचित निर्धारण एवं संग्रहण सुनिश्चित करना है। अपेक्षित मानवशक्ति की उपलब्धता के साथ ये सभी कार्य सुचारू रूप से किये जा सकते हैं।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 उत्पाद जिलों एवं दो उ.उ. कार्यालयों के स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल के अभिलेखों से पाया कि स्वीकृत बल के विरूद्ध सभी संवर्गों में मानव शक्ति की (36 और 75 प्रतिशत के बीच) अत्यधिक कमी थी जैसा कि **तालिका - 3.3.18.4** में दर्शाया गया है।

तालिका - 3.3.18.4

क्र.सं.	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी	कमी का प्रतिशत
1	निरीक्षक	27	14	13	48
2	अवर निरीक्षक	93	39	54	58
3	स.अ.नि.	80	20	60	75
4	कॉस्टेबल	466	144	322	69
5	लिपिक	59	38	21	36
6	चालक	19	6	13	68
कुल		**744**	**261**	**483**	

उपर्युक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि ये कार्यालय स्वीकृत बल के मात्र 35 प्रतिशत औसत मानवशक्ति के साथ कार्यरत थे और इसने अधिनियम के प्रशासन को हानिकारक रूप से प्रभावित किया होगा।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि विभाग के लिए नियुक्ति नियमावली बनायी गयी है और रिक्तियों के बारे में सक्षम प्राधिकारी को सूचना भेज दी गई है।

हम अनुशंसा करते है कि सरकार वित्त विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने तथा उत्पाद राजस्व के अपवंचन का समय पर निवारण हेतु, उ.खु.ब्यू. को कार्यशील बनाने और अधिनियम के प्रभावी प्रशासन हेतु, स्वीकृत बल के अनुसार मानव शक्ति की तैनाती पर विचार कर सकती है।

3.3.18.5 महत्वपूर्ण पंजियों का संधारण नहीं किया जाना

बि.उ.अधिनियम के परिशिष्टों के अधीन अध्याय-II एवं XIV उत्पाद राजस्व के समय पर उद्ग्रहण एवं जमा किये जाने पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु विविध प्रपत्रों, पंजियों एवं विवरणियों के संधारण का प्रावधान करता है।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 में से पाँच[17] उत्पाद जिलों में पाया कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण पंजियाँ या तो संधारित नहीं या अनुपयुक्त ढंग से संधारित किये जा रहे थे।

- **चालान पंजी (प्रपत्र-106)**

बि.उ.अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों के अधीन, प्रत्येक उत्पाद कार्यालय को कोषागार में जमा सभी उत्पाद प्राप्तियों को अभिलेखित करने हेतु प्रावधानों के अनुसार उत्पाद प्रपत्र-106 में चालान पंजी संधारित करना है। चालान पंजी में की गयी सभी प्रविष्टियां स.आ.उ./अ.उ. के द्वारा सावधानीपूर्वक सत्यापित और आद्याक्षरित की जानी चाहिए एवं संबंधित कोषागार पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

हमने छह उत्पाद जिलों[18] में पाया कि चालान पंजी या तो संधारित नहीं किया जा रहा था या प्रावधानों का पालन किए बिना संधारित किया जा रहा था। चालान पंजी के अभाव में या चालान पंजी के अनुपयुक्त संधारण के कारण, कोषागार में जमा उत्पाद राजस्व का सत्यापन उचित रूप से नहीं किया जा सका।

- **पंजी - 89**

यह पंजी आवंटित कोटे के विरूद्ध खुदरा दुकानों को शराब की माहवार आपूर्ति दर्शाती है, जो ठेकेदारों द्वारा संधारित की जानी है।

हमने नमूना जाँच किये गये 11 जिलों में से दुमका एवं हजारीबाग उत्पाद जिलों में पाया कि दे.श./म.दे.श. के सैचेटिंग प्लांट संचालित करने वाले दोनों ठेकेदारों ने पंजी-89 का संधारण नहीं किया।

- **पंजी-88 एवं 88 ए**

पंजी 88 स्पिरिट का शेष लेखा और लेनदेन का सारांश दर्शाता है जबकि पंजी 88 ए प्रत्येक वर्ष के सभी विवरणों को दर्शाता है जो अनुज्ञाधारियों द्वारा संधारित की जानी है।

हमने उत्पाद अभिलेखों के जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 11 में से दुमका और हजारीबाग जिले में 19 सी (भा.नि.वि.श. वितरक) के दो अनुज्ञाधारी और म.दे.श. सैचेटिंग प्लांट के एक ठेकेदार ने पंजी 88 तथा 88(ए) संधारित नहीं किया।

मामलों को हमारे द्वारा बताये जाने के बाद (जुलाई 2014) विभाग ने बताया कि अनुपालन हेतु सभी संबंधित जिलों को निर्देश निर्गत किये जा रहे थे।

---

[17] बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़ तथा राँची।

[18] बोकारो, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, जमशेदपुर और राँची।

3.3.18.6 उत्पाद अपराध मामले, जब्त सामग्रियों तथा सज़ा का निष्पादन नहीं होना

बि.उ. अधिनियम उत्पाद अधिकारियों को निरीक्षण, तलाशी, उत्पाद पदार्थों को जब्त करने, किसी व्यक्ति को उत्पाद अपराध पर रोकने एवं गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। जिला उत्पाद प्राधिकारी से पंजियों यथा मामलों की पंजी, दंडित व्यक्ति एवं मामलों के अंतिम प्रतिवेदन की पंजी, का संधारण करना अपेक्षित है। अग्रतर, यह प्रावधान करता है कि जब, दंडाधिकारी उनके द्वारा सुनवाई किये गये किसी मामले में निर्णय लेते हैं कि वस्तुएँ जब्ती योग्य हैं, या तो वे जब्ती का आदेश दे सकते हैं या उन वस्तुओं के स्वामी को जब्ती के बदले ऐसा अर्थदंड भुगतान करने का विकल्प दे सकते हैं, जो वे उचित समझें। तलाशी के दौरान जब्त की गयी एवं न्यायालय के समक्ष लायी गयी उत्पाद सामग्रियों को मामले के निष्पादन होने तक संभाल कर रखा जाना है तथा बाद में न्यायालय के आदेश के निर्देशानुसार निष्पादन किया जाना है।

हमने नौ उत्पाद जिलों[19] में अपराध मामले की विवरणियों एवं पंजी के जाँच में पाया कि वर्ष 2011-13 के दौरान सामने आये 7,111 अपराध के मामले में से 4,635 मामले निष्पादित किये गये जैसा **तालिका - 3.3.18.6** में वर्णन किया गया है।

तालिका - 3.3.18.6

वर्ष	सामने आये मामलों की संख्या	स.आ.उ./अ.उ. द्वारा निष्पादित मामलों की संख्या	न्यायालय के अधीन/गिरफ्तारी के मामलों की संख्या	अज्ञात/अप्राप्त अपराधियों की संख्या	अनिष्पादित मामलों का प्रतिशत
2011-12	3,301	2,035	83	1,183	38.36
2012-13	3,810	2,600	137	1,073	31.76
कुल	**7,111**	**4,635**	**220**	**2,256**	

उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि अनिष्पादित उत्पाद अपराध मामले 31.76 से 38.36 प्रतिशत के बीच थे। विभाग के पास भी जब्त उत्पाद सामग्रियों की कुल मात्रा में से निष्पादन योग्य सामग्रियों की मात्रा एवं मूल्य की कोई सूचना नहीं थी।

सरकार/विभाग को जून 2014 में मामला प्रतिवेदित किया गया, विभाग ने बताया (अगस्त 2014) कि जब्त सामग्रियों पर उचित कार्रवाई करने तथा विभाग को सूचित करने हेतु सभी संबंधित जिलों को निर्देश जारी किया जा रहा था।

3.3.19 उपसंहार

उत्पाद प्राप्तियां राज्य के कर राजस्व का प्रमुख स्रोतों में से एक हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा ने उत्पाद प्राप्तियों के आरोपण एवं संग्रहण में कई कमियों को तथा नियमों एवं नियमावलियों के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण राजस्व के रिसाव को उजागर किया। खुदरा दुकानों की अबंदोबस्ती, निर्धारित न्यू.प्र.मा. के अनुसार

[19] देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, पाकुड़, राँची-सह-खूँटी, साहेबगंज सरायकेला-खरसावाँ एवं पश्चिम सिंहभूम (चाईबासा)।

शराब का कम/नहीं उठाव तथा निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक उठाव पर अनुज्ञाशुल्क के छूट द्वारा खुदरा दुकानों के अनुज्ञाधरियों को अनुचित लाभ ने राज्य के राजस्व को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। अग्रतर, नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के अभाव, उत्पाद खुफिया ब्यूरो का अकार्यशील रहना और विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अपर्याप्त निरीक्षण के रूप में विभाग का आंतरिक नियंत्रण ढाँचा अपूर्ण था। अपेक्षित मानवशक्ति की कमी ने विभाग में अधिनियम और नियमावलियों के प्रशासन को प्रभावित किया।

3.3.20 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार:

- सतत अनुश्रवण द्वारा बकाया मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग को निर्देश जारी करने और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को लागू कर भू-राजस्व बकाये की तरह बकायों की वसूली करने पर;
- अवैध शराब की आपूर्ति के जोखिम को कम करने के लिये अबंदोबस्त दुकानों को संचालित करने हेतु तंत्र विकसित करने एवं न्यू.प्र.म. के तर्कसंगत वितरण से राजस्व उत्पति को बरकरार रखने;
- निर्धारित न्यू.प्र.म. से अधिक शराब के उठाव पर अनुज्ञा शुल्क में छूट से संबंधित नई उत्पाद नीति के प्रावधानों में संशोधन करने; और
- राजस्व के आरोपण एवं संग्रहण की त्रुटियों का समय पर पता लगाने एवं सुधार सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक लेखापरीक्षा एवं उ.खु.ब्यू. को पुनर्जीवित करने पर विचार कर सकती है।